

1642

पत्र संख्या- 383808 /E-49189

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह पतियाल,  
मंयुक्त सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 30 मार्च, 2026

विषय: विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के 02 निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता श्रे.का., लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन/eDPR, जिममें 02 मार्गों की कुल लम्बाई 1.240 कि०मी० एवं लागत, ₹ 125.73 लाख है, के शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 124.33 लाख (रूपये एक करोड़ चौबीस लाख तैंतीस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹10,000/- (₹ दस हजार मात्र) अर्थात् 02 कार्यों हेतु ₹20,000/- (₹ बीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रु. लाख में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (कि.मी. में)	शासन द्वारा अनु. लागत (लाख ₹ में)
1	2	3	4
01	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद चमोली के विकासखंड गैरसैण के अंतर्गत आदिबद्री नौटी मोटर मार्ग के कि०मी० 31 से जाने वाले मटियाला किरसाल मोटर मार्ग पर पुनर्निर्माण एवं सुधारीकरण का कार्य   (EDPR ID- 3027)	0.740	48.39
02	राज्य योजना के अन्तर्गत भकुंडा से हुंग मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य कि०मी० 0.000 से 0.500 (द्वितीय चरण स्टेज 2) (EDPR ID- 3533)	0.500	75.94
	कुल योग :	1.240	124.33

(रु. बीस हजार मात्र)

2- उपरोक्त कार्यों की स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन होगी :-

- उपरोक्त नालिका के क्रम संख्या 01 कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व अधिशासी अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि मार्ग की ज्यामितियों एवं सबग्रेड को विशिष्टियों के अनुसार प्राप्त कर ली गयी है। साथ ही मार्ग का L-Section बनाकर यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि मार्ग का Grade

- विशिष्टियों की अनुमन्य सीमाओं के अन्तर्गत है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि मार्ग पर कहीं भी Local Depression नहीं है।
- II. उपरोक्त तानिका के क्रम संख्या 02 पर अंकित कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित दीवारों के निर्माण से पूर्व इनके Detailed Plan एवं क्रॉस से 0 बनाकर अधीक्षण अभियन्ता मे अनुमोदित करवा लिये जाय।
  - III. कार्य स्थल की कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समय समय पर कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त जी0पी0एस0 फोटोग्राफ तथा वीडियो कार्यदायी संस्था द्वारा संग्रहित रखी जाय।
  - IV. सड़क के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में वन विभाग के मानकों से सम्बन्धित लोक निर्माण अनुभाग2-, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 1/276791/2025 ई पत्रावली संख्या15)23430-(सामान्य2022/() दिनांक 19.02.2025 में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सुनिश्चित किया जाय।
  - V. विस्तृत आगणनों में उल्लिखित दरें, जो शेड्यूल ऑफ रेट से भिन्न हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
  - VI. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व प्राविधिक स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/149101/2023 दिनांक 25 अगस्त, 2023 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
  - VII. प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
  - VIII. ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की Debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
  - IX. निर्माण कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
  - X. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
  - XI. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
  - XII. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
  - XIII. यदि विषयगत कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
  - XIV. स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रेक्स्योरमेन्ट रूल्स- 2025 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

- XV. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31.03.2026 तक मुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अनिश्चित धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।
- XVI. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराने समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन मुनिश्चित किया जायेगा।
- XVII. विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22, के अन्तर्गत मंत्र अलॉटमेंट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या- 4227 Chief Engineer PWD में किया जा रहा है।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.-2 2 लेखाशीर्षक- 5054 मड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिच्यय-0 4 जिला तथा अन्य मड़कें-337 मड़क निर्माण कार्य -03 राज्य सेक्टर-02 तथा निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02 में स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक- 1/383743/2026 दिनांक 29 मार्च, 2026 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

Digitally signed by  
Rajendra Singh Patiyal  
Date: 30-03-2026  
15:30:46

भवदीय,  
(राजेन्द्र सिंह पतियाल)  
संयुक्त सचिव।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, चमोली।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, सातवां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, गोपेश्वर।
9. अधिशासी अभियन्ता, नि0न्व0, लोक निर्माण विभाग, गौचर।
10. गार्ड फाईल।

आजा मे,  
संयुक्त सचिव।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026 )  
Secretary-Secretary, PWD(S038)  
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -1383808/2026  
अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S26030220147  
आवंटन पत्र दिनांक-30-MAR-2026

लेखा शीर्षक  
5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय  
337-सड़क निर्माण कार्य  
02-नये निर्माण कार्य  
04-जिला तथा अन्य सड़के  
03-राज्य सेक्टर

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय			योग			
53-वृहद निर्माण				8530000	10000	0			8540000			
योग				8530000	10000	0			8540000			

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.10,000 (Rupees Ten Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग,  
"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून



(Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand)





Web-http://govt.ua.nic.in/pwd


E-mail: p1hodpwwduk@gmail.com

पत्रांक-442 / 20याता०क (वित्तीय स्वीकृति)नियो०-1/2026,

दिनांक-04/अप्रैल/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय लोक निर्माण विभाग, .....  .....
2. अधीक्षण अभियन्ता, 07..... वृत्त, लोक निर्माण विभाग, .....  .....
3. अधिशासी अभियन्ता, .....  ..... खण्ड, लोक निर्माण विभाग, .....  .....
4. आई०टी०सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. सहायक लेखाधिकारी विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक वर्ग), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

  
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,  
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,  
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

